



कार्यालय प्राचार्य,शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

REGISTERED UNDER SECTION 2(F) OF UGC ACT.

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in/>

AISHE CODE - C-9695

महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिये आचार–संहिता

- (1) प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय में 07 घण्टे अर्थात् प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक रूकना आवश्यक होगा।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र निर्माण, आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में दिए गए कार्य का निष्पादन करेंगे।
- (3) महाविद्यालय परिसर में किसी भी शिक्षक की उपस्थिति के आस–पास अनुशासन की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।
- (4) महाविद्यालय के सभी आयोजनों , कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के उद्घाटन समारोह, समापन समारोह आदि में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उचित कारण पर आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
- (5) 15 अगस्त , 02 अक्टूबर, 26 जनवरी को सभी की उपस्थिति महाविद्यालय में अनिवार्य होगी। अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश दर्ज की जाएगी। यदि आप किसी अन्य स्थान पर ध्वजारोहण में सम्मिलित होते हैं तो आपको प्रमाण–पत्र देना होगा।
- (6) प्रायोगिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम शत–प्रतिशतपूर्ण हो। प्रायोगिक कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के कक्षावार मोबाईल नंबर रखें जायें।
- (7) समय–समय पर जारी संशोधनों एवं नये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
- (8) प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को सौंपे गए दायित्वों/ कर्तव्यों का निर्वाहन करना होगा।
- (9) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु अवकाश पूर्व में स्वीकृत कराना होगा। अवकाश स्वीकृत कराए बिना अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर अवैतनिक अवकाश मान लिया जायेगा।
- 10) शिक्षक अपने आचार ,विचार एव व्यवहार से स्वयं विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनेंगे।



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

REGISTERED UNDER SECTION 2(F) OF UGC ACT.

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in>

AISHE CODE - C-9695

विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

- (1) समस्त विद्यार्थी शालीन वेश –भूषा में महाविद्यालय में अध्ययन करने हेतु आयेंगे।
- (2) प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेंगे, इसके साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में अपनी पूरी सहभागिता दर्ज करेंगे।
- (3) महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी द्वारा शालीन व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उसके द्वारा अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौज, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- (4) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा समस्त शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों से विनम्र व्यवहार किया जाना चाहिए।
- (5) महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है एवं उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरल और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
- (6) महाविद्यालय की सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
- (7) महाविद्यालय में झुंघर–उधर थूकना, दीवार गन्दा करना या आपत्तीजनक बातें लिखना सख्त मना है, विद्यार्थी के असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- (8) विद्यार्थी अपनी मांगों हेतु उग्र प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे।
- (9) विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेंगे तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं, समाचार –पत्रों आदि का सहारा नहीं लेंगे।

अध्ययन संबंधी नियम

- (1) प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (2) विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे तथा उनको स्वच्छ रखेंगे।
- (3) प्रयोगशाला के उपकरणों को खराब या तोड़–फोड़ करने पर विद्यार्थी को आर्थिक दण्ड देना होगा।
- (4) ग्रन्थालय के नियमों का विद्यार्थी पूर्णतः पालन करेंगे। विद्यार्थियों को निर्धारित संख्या में पुस्तकें प्रदाय की जायेगी तथा उन पुस्तकों को समय पर ग्रन्थालय में जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब शुल्क के साथ पुस्तक जमा करना होगा।



कार्यालय प्राचार्य,शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ,
जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

REGISTERED UNDER SECTION 2(F) OF UGC ACT.

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in/>

AISHE CODE - C-9695

"रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है"

- (1) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों, द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें बोले गये शब्द या किया गया काम जिसके द्वारा चिढ़ाना या रूखाई से पेश आना प्रतीत होता है।
- (2) विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया असत्य या अनुशासनहीन कृत्य जिसमें नये विद्यार्थी को क्रोध आए, किसी प्रकार की शारीरिक,मानसिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा या डर उत्पन्न हो।
- (3) ऐसा कोई कार्य जो कि शर्मनाक हो जिससे नये विद्यार्थी को 'शर्मिन्दगी, मानसिक पीड़ा या मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न हो।
- (4) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो नये विद्यार्थी की अकादमिक गतिविधि में अवरोध उत्पन्न करे।
- (5) किसी नवीन प्रवेशित विद्यार्थी या अन्य कोई विद्यार्थी का शोषण करके अपने या अपने समूह के लिए अकादमिक कार्य करना।
- (6) किसी भी नये विद्यार्थी या अन्य किसी विद्यार्थी के उपर जबरदस्ती वित्तीय बोझ डालना।
- (7) शारीरिक पीड़ा देने का कोई भी कृत्य जैसे आपत्तिजनक गतिविधियां, इशारेबाजी या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य।
- (8) शब्दों द्वारा पीड़ा पहुंचाना, ई-मेल करना/व्हाट्सएप करना, डाक पत्र द्वारा, सार्वजनिक अपमान करना, दूसरो को पीड़ा पहुंचाकर मानसिक संतोष प्राप्त करना या इन सब कृत्यों में लिप्त होना या साथ देना।
- (9) ऐसा कोई भी काम जो नये विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य या उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करे।